अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/01/25

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–245/2012 (Recast) 1216 /पटना/दिनांक :– 31/1/25

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–245/2012 (Recast) 1216 /पटना/दिनांक :– 31/1/25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–245/2012 (Recast) 1216 /पटना/दिनांक :– 31/1/25

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं 6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–फ्लैट नं0–302, सरस्वती 2, जलालपुर सिटी, राम जयपाल पथ, पो0–दानापुर, जिला–पटना, पिन–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/25
संयुक्त सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

:—संकल्पः—

श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत के विरूद्ध सतुआ बांध से कैनाल भाया—भगवानपुर अकैट पथ निर्माण (वर्ष—2011—12) में GSB, WBM Gr-II, WBM Gr-III में Metal की मात्रा कम एवं Dust की मात्रा अधिक पाये जाने, PCC ढ़लाई कार्य में Stone Aggregate Over Size पाये जाने, WBM Compaction एवं Seal Coat मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अधिसूचना सं0—1129—सह—पठित ज्ञापांक—1130 अनु0 दिनांक 01.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता—04, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—14 (VII) के तहत अधिसूचना सं0—629—सह—पठित ज्ञापांक—630 दिनांक 25.03.2021 द्वारा कालमान वेतन में तीन प्रक्रम निम्नतर पर सेवानिवृति तक अवनति एवं इस अवधि में वेतनवृद्धि देय नहीं होने का दंड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री शर्मा के पत्रांक 01 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—24(2) के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में श्री शर्मा द्वारा मामले में उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए मुख्यतः कहा गया है कि बिना ठोस आधार के कार्य की गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप नहीं होना बताकर उन्हें दंड संसूचित किया गया, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग VII में अपील का प्रावधान उल्लेखित है। उक्त नियमावली के नियम—25 में अपील हेतु परिसीमा काल निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार *"इस भाग के अधीन की जानेवाली कोई अपील तबतक ग्रहण नहीं की जायेगी, जबतक की वह अपील में अर्न्तग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दिये जाने की तिथि से 45 दिनों के अंदर न की गयी हो।"*

5. श्री शर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि श्री शर्मा के विरूद्ध प्रश्नगत दंडादेश दिनांक 25.03.2021 को हीं निर्गत है, जबकि उनके द्वारा उक्त के विरूद्ध अभ्यावेदन लगभग तीन वर्ष नौ माह के बाद दिनांक 27.12.2024 को समर्पित की गयी है। साथ ही श्री शर्मा द्वारा विलंब से अभ्यावेदन समर्पित करने का कोई यथेष्ठ कारण का उल्लेख भी नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री शर्मा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है।

BK) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in